


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1177, 1178, 1179/2011.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- मै0 तिरूपती आयरन एण्ड स्टील, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्किल-डी, वार्ड-द्वितीय जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए
19.03.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ-कैम्प जयपुर</u> <u>श्री मनोहर पुरी - सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री विक्रम गोगरा व प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री रामकरण सिंह, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 1177, 1178, 1179/2011/जयपुर जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p>	<p style="text-align: center;"> (मनोहर पुरी) सदस्य</p>